संख्या-189/2023/1490/22-2-2022-17(1207)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कल्लन उर्फ कलुवा पुत्र श्री बुद्धा खॉ, निवासी जनपद-बदायूं हाल जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12-04-2022) दिनांक-06-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कल्लन उर्फ कलुवा पुत्र श्री बुद्धा खॉ, जो ग्राम-पतरिया, थाना-गुन्नौर, जनपद-बदायूं हाल पता- राजन होटल, थाना- कोतवाली, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। बन्दी (होटल कर्मचारी) ने दिनांक-09-11-1998 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर टेकचन्द, रामकिशोर व राजू नामक 03 व्यक्तियों की चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-406,1017/99 में धारा-148,302/149 भा0द0वि0 व 4/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0सं0-5 मुरादाबाद के आदेश दिनांक 10-10-2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक 23 वर्ष, 04 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किये जाने, बन्दी के रिहा होने पर समाज व चुनावी माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी (होटल कर्मचारी) ने दिनांक-09-11-1998 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर टेकचन्द, रामकिशोर व राजू नामक 03 व्यक्तियों की चाकू से मारकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कल्लन उर्फ कलुवा पुत्र श्री बुद्धा खॉ को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कल्लन उर्फ कलुवा (बन्दी संख्या-7799) पुत्र पुत्र श्री बुद्धा खॉ, निवासी जनपद-बदायूं हाल जनपद-मुरादाबाद के फार्म-ए/लाइसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-189/2023/1490/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-189/2023/1490/22-2-2022-17(1207)/2022

दिनांक 29 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कल्लन उर्फ कलुवा पुत्र श्री बुद्धा खॉ, जो ग्राम-पतरिया, थाना-गुन्नौर, जनपद-बदायूं हाल पता- राजन होटल, थाना- कोतवाली, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। बन्दी (होटल कर्मचारी) ने दिनांक-09-11-1998 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर टेकचन्द, रामकिशोर व राजू नामक 03 व्यक्तियों की चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-406,1017/99 में धारा-148,302/149 भा0द0वि0 व 4/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0सं0-5 मुरादाबाद के आदेश दिनांक 10-10-2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक 23 वर्ष, 04 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किये जाने, बन्दी के रिहा होने पर समाज व चुनावी माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी (होटल कर्मचारी) ने दिनांक-09-11-1998 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर टेकचन्द, रामकिशोर व राजू नामक 03 व्यक्तियों की चाकू से मारकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कल्लन उर्फ कलुवा पुत्र श्री बुद्धा खॉ को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।